राजस्थान सरकार

राजस्व (भू–रूपान्तरण) विभाग

क्रमांकः– प0 2 [illegible] /भू0रू0/07 जयपुर, दिनांक 20-10-08

समस्त संभागीय आयुक्त,
राज0 ।

समस्त जिला कलेक्टर,
राज0 ।

–::परिपत्र::–

राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन हेतु भूमि संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 13 में यह प्रावधान है कि कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण हेतु प्रस्तावित भूमि पर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना संपरिवर्तन के पहले निर्माण किये जाने पर शास्ति देय होगी । कुछ जिला कलेक्टरों द्वारा मार्गदर्शन चाहा गया है कि यह शास्ति जितनी भूमि पर निर्माण किया गया है उस पर ली जानी है या सपंरिवर्तन हेतु प्रस्तावित सम्पूर्ण भूमि पर ली जानी है।

प्रकरण का परीक्षण किया जाकर निर्देशानुसार लेख है कि जितनी भूमि पर रूपान्तरण स्वीकृति के पूर्व निर्माण कर लिया गया है उसके क्षेत्रफल के अनुरूप शास्ति वसूली की जाएगी । यह शास्ति सपंरिवर्तन नियमों के अनुसार लिए जाने वाले शुल्क के अतिरिक्त होगी ।

आज्ञा से

(आर0के0त्रिपाठी)
शासन उप सचिव
20/10/08